

थाना- बरदह**परचून की दुकान पर गांजा बेचने समय 950 ग्राम गांजा के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार**

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एव वांछित, ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत दिनांक 22.12.2020 को उ०नि० राजबहादुर यादव मय हमराह का० कृष्णचन्द्र , का० गोपाल रजक का० मनोज कुमार तिवारी व का० अमरनाथ शर्मा के साथ देखभाल करता हुए मुक्तिपुर बाजार में मौजूद थे । पुलिस बल आपस में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण एवं रोकथाम के बारे में आपस में बात चीत कर रहे थे कि उसी समय जरिये मुखबीर सूचना मिली ग्राम नरवे में दारा सिंह परचून की दुकान किया है , परचून का सामान बेचता है तथा परचून के दुकान के आड में गांजा पीने वालों को चुपके से नाजायज गांजा भी बेचता है । जल्दी करने पर उक्त व्यक्ति नाजायज गाँजा के साथ पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर पुलिस बल द्वारा मुखबीर को साथ लेकर मुक्तिपुर बाजार से ग्राम नरवे पहुँचकर मुखबीर खास को साथ लेकर दारा सिंह के दुकान की तरफ बढ़े कि दुकान के पास पहुँचकर मुखबीर गांजा बेचने वाले व्यक्ति के तरफ इशारा करके हट बढ़ गया । पुलिस बल द्वारा दारा सिंह के परचून की दुकान पर एक बारगी पहुँचकर दुकानदार को घेर लिया गया । जो अचानक पुलिस बल को देखकर हडबडाते हुए एक टीन के डिब्बा में से एक हरे रंग की पन्नी में रखे सामान को निकालकर दोनों हाथों के बीच में लेकर चादर के अन्दर छिपाकर अपने घर के अन्दर भागना चाहा कि उसे उ०नि० व हमराही कर्म०गणों की मदद से समय 19.10 बजे पकड़ लिया गया । पकड़े गये व्यक्ति से इसका नाम पता पूछा गया तो अपना नाम दारा सिंह पुत्र स्व० बृजवासी सिंह ग्राम नरवे थाना बरदह जनपद आजमगढ़ बताया । जिसके कब्जे से 950 ग्राम नाजायज गांजा बरामद हुआ । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०- 315/2020 धारा 8/20 NDPS ACT पंजीकृत कर अन्य अग्रीम कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त से पूछताछ करने पर बताया कि मैं गांजा बेचकर अपना व अपने परिवार के लोगो का भरण पोषण करता हूँ ।

पंजीकृत अभियोग

मु०अ०सं० 315/2020 धारा 8/20 NDPS ACT थाना बरदह जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त

दारा सिंह पुत्र स्व० बृजवासी सिंह ग्राम नरवे थाना बरदह आजमगढ़

बरामदगी

950 ग्राम गांजा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

उ०नि० श्री राजबहादुर यादव , का० मनोज तिवारी , का० गोपाल रजक , का० अमरनाथ शर्मा का० कृष्णचन्द्र थाना बरदह जनपद आजमगढ़ ।

थाना जहानागंज**पाक्सो एक्ट मे दो नफर वांछित अपचारी/अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 01.12.2020 को श्री छेदी राम पुत्र लौटू राम निवासी सेमा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ ने थाना जहानागंज पर शिकायत दर्ज करायी कि दिनांक 27.11.2020 को मेरे ही गांव के 1-अमित पुत्र बालचन्द 2-अश्वनी कुमार पुत्र बालचन्द नि०गण ग्राम सेमा थाना जहानागंज आजमगढ़ द्वारा मेरी लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गए तथा दिनांक 28.11.20 को मेरी लड़की घर पर आयी और आप बीती बताई । इस सूचना पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 276/20 धारा 363,366 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया ।

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एव वांछित,ईनामिया अभियुक्तो की गिरफ्तारी विषयक अभियान के दृष्टिगत आज दिनांक 23.12.2020 को उ0नि0 श्री बाके बहादुर मय हमराह द्वारा मु0अ0सं0 276/20 धारा 363 ,366 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त/ अपचारी1-अमित कुमार पुत्र बालचन्द राम 2-अश्वनी कुमार उर्फ गोरख पुत्र बालचन्द राम नि0गण ग्राम सेमा थाना जहानागंज आजमगढ को समय करीब 12.30 बजे सेमा बैंक के पास से गिरफ्तार किया गया । अपचारी / अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है ।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 276/20 धारा 363,366 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्त/अपचारी

- 1-अमित कुमार पुत्र बालचन्द राम(अपचारी) निवासी ग्राम सेमा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ
- 2-अश्वनी कुमार उर्फ गोरख पुत्र बालचन्द राम (अभियुक्त) निवासी ग्राम सेमा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ ।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण

- 1-उ0नि0 बाके बहादुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ ।
- 2-हे0का0 रामअवध यादव थाना जहानागंज जनपद आजमगढ ।
- 3-हे0का0 शोभनाथ यादव थाना जहानागंज जनपद आजमगढ ।

थाना मुबारकपुर

एक नफर वांछित अपचारी गिरफ्तार

आज दिनांक 23.12.2020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ द्वारा वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार मिश्र के कुशल नेतृत्व में उ.नि. राजेन्द्र कुमार व उ.नि. मधूसूदन चौरसियामय हमराह द्वारा पर मु.अ.स.- 286/20 धारा-323 ,325,308,504 भादवि से सम्बन्धित वांछित अपचारी किशोर अभियुक्त प्रिन्स यादव उर्फ ओमकार पुत्र कैलाश यादव निवासी मोइनाबाद थाना-मुबारकपुर जनपद आजमगढ को गोछा पुलिया के पास से समय 12.10 बजे गिरफ्तार किया गया अग्रिम कार्यवाही किया जा रहा है ।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0-286/20 धारा-323,325,308,504 भादविथाना मुबारकपुर आजमगढ ।

गिरफ्तार अभियुक्त

प्रिन्स यादव उर्फ ओमकार पुत्र कैलाश यादव निवासी मोइनाबाद थाना-मुबारकपुर जनपद आजमगढ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

व.उ.नि. देवेन्द्र कुमार सिंह थाना मुबारकपुर जनपद-आजमगढ
का. धर्मेन्द्र कुमार सिंह-1 थाना मुबारकपुर जनपद-आजमगढ
का. अनिल प्रसाद थाना मुबारकपुर , जनपद-आजमगढ

थाना-मेहनगर

04 नफर वांछित अभियुक्तगण गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित, ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी विषयक अभियान के दृष्टिगत आज दिनांक 23.12.2020 उ०नि० वीरेन्द्र यादव मय हमराही फोर्स के देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित अभि० चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन मे मामूर था कि मुखबीर खास ने बताया की मु०अ०सं० 191/20 धारा 147/148/323/504/506/308 भादवि मे वांछित अभियुक्तगण 1.कन्हैया राजभर पुत्र जालिम राजभर 2.राकेश राजभर पुत्र अर्जुन राजभर 3. सोहित राजभर पुत्र इनरमल राजभर 4.जालिम राजभर पुत्र स्व० खुरचन निवासीगण रजहा अजमतपुर थाना मेहनगर आजमगढ़ कही जाने की फिराक मे लखराव पोखरा के पास खड़े है । इस सूचना पर उ०नि० मय हमराही फोर्स के साथ लखराव पोखरा पर पहुंचकर अभियुक्तगण 1.कन्हैया राजभर पुत्र जालिम राजभर 2.राकेश राजभर पुत्र अर्जुन राजभर 3. सोहित राजभर पुत्र इनरमल राजभर 4.जालिम राजभर पुत्र स्व० खुरचन निवासीगण रजहा अजमतपुर थाना मेहनगर आजमगढ़ को समय करीब 9.30 बजे सुबह गिरफ्तारी कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है ।

पंजीकृत अभियोग

मु०अ०सं० 191/20 धारा 147/148/323/504/506/308 थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण

- 1.कन्हैया राजभर पुत्र जालिम राजभर निवासी रजहा अजमतपुर थाना मेहनगर आजमगढ़
- 2.राकेश राजभर पुत्र अर्जुन राजभर निवासी रजहा अजमतपुर थाना मेहनगर आजमगढ़
3. सोहित राजभर पुत्र इनरमल राजभर निवासी रजहा अजमतपुर थाना मेहनगर आजमगढ़
- 4.जालिम राजभर पुत्र स्व० खुरचन निवासी रजहा अजमतपुर थाना मेहनगर आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

उ०नि० वीरेन्द्र यादव मय हमराह थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ ।